न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 38 / 2019

उनवान

...वती पुत्री रामा बामणिया जाति भील निवासी उदेला (वखतपुरा) हांल कुवालिया तहसील अरथूना।

—: वादीया

बनाम

(1) रामा पिता मंगलिया बामणिया जाति भील निवासी उदेला तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 10-3-2021

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया व प्रतिवादी नम्बर 01 के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 114 (नया) 95 (पुराना) के सर्वे नम्बर 100 रकबा 0.04 हे0, सर्वे नम्बर 101 रकबा 0.09 हे0, सर्वे नम्बर 102 रकबा 0.13 हे0, सर्वे नम्बर 103 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 104 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 105 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 107 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 1268 / 211 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 208 रकबा 0.08 हे0, सर्वे नम्बर 211 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 212 रकबा 0.01 हे0, सर्वे नम्बर 361 रकबा 0.15 हे0, सर्वे नम्बर 362 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 376 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 531 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 632 रकबा 0.82 हे0, सर्वे नम्बर 660 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 747 रकबा 0.12 हे0, सर्वे नम्बर 795 रकबा 0.33 हे0, सर्वे नम्बर 801 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 802 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर 805 रकबा 0.06 हे0, सर्वे नम्बर 815 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 821 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 826 रकबा 0.21 हे0, सर्वे नम्बर ...99 रकबा 0.01 हे0 कुल किता 26 कुल रकबा 3.64 हे0 भूमि गांव उदेला पटवार हल्का वखतपुरा तहसील अरथूना में स्थित है। उक्त भूमि के वादी की पैतृक होकर प्रतिवादी नम्बर 01 का पिता है वादीया की वंशावली निम्नानुसार हैः—

मंगलिया

↓

रामा

↓

कैलाश (पुत्र) भगवती (पुत्री)

वादीया की उक्त भूमि पर वादीया का प्रतिवादी के साथ संयुक्त कब्जा काश्त है परन्तु मंगलिया की मृत्यू उपरान्त पुत्र होने से प्रतिवादी नम्बर 01 का नाम दर्ज है जो प्रतिवादी [illegible] अनुचित लाभ उठाकर सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द करने आमादा है। जिस वजह से वादीया [illegible] भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक होने से वाद धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा प्रतिवादी नम्बर 01 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि को खुर्द बुर्द, विक्रय करने से [illegible] हेतु वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पैश हुआ [illegible]

वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या [illegible] के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर प्रकरण वादीया की साक्ष्य हेतु नियत किया जाने पर वादीया की साक्ष्य के रूप में भगवती पुत्री रामा एंव गटुलाल पिता लालु, परेश पिता मोहन के शपथ–पत्र पैश हुऐ। तत्पश्चात् प्रकरण बहस हेतु नियत किया जाकर वादी अभिभाषक की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की बहस पर मनन करने एंव वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न खाता संख्या 114 (नया) 95 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, ग्राम पंचायत बखतपुरा द्वारा जारी मूल खातेदार मंगलीया की वंशावली आदि का अवलोकन करने एंव हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Pra...
Date: 2021.04.12 16:10:13
Reason: SelfAttested

के सेक्शन 02 के (2) अनुसार "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट न कर दे" तथा पुराने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में भी जनजाति समुदाय की पुत्रियों के नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने के प्रावधान नही होने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादीया की ओर से प्रस्तुत वाद में अनुतोष दिया जाना न्यायोचित नही है।

अतः वादीया का वाद अस्वीकार किया जाकर वादीया के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादीया का वाद अस्वीकार किया जाकर ईस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.3.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:13 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 38/2019

उनवान

भगवती पुत्री रामा बामणिया जाति भील निवासी उदेला (वखतपुरा) हांल कुवालिया तहसील अरथूना।

—: वादीया

बनाम

(1) रामा पिता मंगलिया बामणिया जाति भील निवासी उदेला तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

(2) तहसीलदार, तहसील अरथूना जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादीया का वाद अस्वीकार किया जाकर ईस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय् सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 10.3.2021 को जारी की गई।

((अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Praka
Date: 2021.04.12 16:10:13 IS
Reason: SelfAttested